संख्या-01/2024/।/467592/008-38-4002-099-5-2021

प्रेषक,

उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2024

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के द्वितीय किश्त के द्वितीय अंश की धनराशि एवं मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1066/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0(13)/2023-24, दिनांक-29.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/01/2023-आरएच(ए/सी)उत्तर प्रदेश, दिनांक-29 दिसम्बर, 2023 के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के द्वितीय अंश की धनराशि रूपये 64392.00 लाख एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 42928.00 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के द्वितीय अंश (रिलीज आफ ट्रेन्च-।। ऑफ सेकण्ड इण्स्टॉलमेण्ट ऑफ सेण्ट्रल असिस्टेन्स फॉर फाइनेन्सियल ईयर 2023-24) की धनराशि रूपये 64392.00 लाख (रूपये छः सौ तैंतालीस करोड़ बानबे लाख मात्र) एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 42928.00 लाख (रूपये चार सौ उन्तीस करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र), कुल धनराशि रूपये 107320.00 लाख (रूपये दस अरब तियहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में अन्तरित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/01/2023-आरएच(ए/सी)उत्तर प्रदेश, दिनांक-029.12.2023 में अंकित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(9) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(12) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(13) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनांक-01 अगस्त, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस संबंध में केन्द्रांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" एवं राज्यांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-226/दस-2023-24, दिनांक-05.01.2024 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव।

संख्या-01/2024/।/467592(1),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0स0) अनुभाग।
(12) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(13) श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in